कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल, रायपुर

(फार्मेसी अधिनियम – 1948 की धारा 19 के तहत गठित)

(छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन सांविधिक निकाय)

मकान नम्बर – 40, आनन्द नगर, रायपुर (छ.ग.) 492006

फोनः–0771–2444591, मो.नं.– 94255 05779, ईमेलः– **cspcraipur@gmail.com** वेबसाईटः– **www.cspc.in**

क्रमॉक / सी.जी. / फार्मा / 2025 / 139 रायपुर, दिनॉक :– 06/05/2025

.::– सूचना –::

छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल में पंजीकृत सभी फार्मासिस्टों को सूचित किया जाता है कि, दिनॉक 19 मई, 2025 से फार्मासिस्ट पंजीयन के नवीनीकरण हेतु केवल ऑनलाईन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे तथा ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल में फार्मासिस्ट पंजीयन के नवीनीकरण हेतु आनलाईन प्रकिया का शुभारम्भ दिनॉक 03 मई, 2025 को माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के करकमलों से छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार मिश्रा तथा कार्यकारिणी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल के वेबसाईट www.cspc.in से फार्मासिस्ट पंजीयन के नवीनीकरण के लिए आनलाईन आवेदन किया जाना है। सम्पूर्ण जानकारी के लिए आनलाईन नवीनीकरण आवेदन के पूर्व वेबसाईट में दिये गये मार्गदर्शिका एवं विडियों का अवलोकन तथा अध्ययन कर लेवें।

सूचनार्थ।

06/05/2025

(अश्वनी गुर्देकर)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउन्सिल
रायपुर (छ.ग.)